कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2021 द्वारा याचिकार्थी संख्या–9 शशि शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए अपनी निकट सेवानिवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि ढिगाल, नवलगढ जिला झुन्झुनू/सेठ हनुमान प्रसाद राउमावि धमोरा, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू/राउमावि बिरोल, नवलगढ जिला झुन्झुनू/सेठ सिन्धाराम राउमावि गोठडा, नवलगढ जिला झुन्झुनू अथवा राउमावि बबाई खेतड़ी जिला झुन्झुनू में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि याचिकार्थी को विभागीय आदेश दिनांक 11.08.2020 द्वारा राउमावि 22 केवाईडी, खाजूवाला जिला बीकानेर समायोजित किया गया था। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 17.08.2020 द्वारा इनका पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए इन्हें राउमावि झाड़सर छोटा, तारानगर जिला चूरू पदस्थापित किया गया किन्तु इनके द्वारा उक्त स्थान पर भी कार्यग्रहण नहीं किया गया। इस प्रकार याचिकार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष इन्हें पूर्व में ही प्रदान किया जा चुका है। याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और इन्हें प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/मुकुलिका/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 08/10/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. शशि शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि रेडाना, गड़रा रोड जिला बाड़मेर।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)